कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा–मा/संस्था/सी–2/नियुक्ति–वाणिज्य/पीएससी/2015 दिनांक 19.07.15 द्वारा श्रीमती ममता मीणा का आर.पी.एस.सी. द्वारा चयन होने के कारण व्याख्याता वाणिज्य के पद पर नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय काछोला(भीलवाड़ा) पदस्थापित किया गया था ।

श्रीमती ममता मीणा द्वारा आदेश कमांक शिविरा–मा /संस्था /सी–2/ नियुक्ति–वाणिज्य /पीएससी/2015 दिनांक 19.07.15 के कम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष याचिका संख्या 8019/2015 दायर की गई । जिसके कम में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04..08..2015 द्वारा उक्त याचिका में निर्णय पारित किया ।

याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनसे कम मैरिट वाले अभ्यार्थीयो को गृह जिलें मे पदस्थापित किया गया है जबकि उन्हे गृह जिले से बाहर पदस्थापन दिया गया है, इस लिए उन्होने गृह जिलें में पदस्थापित करनें बाबत निवेदन किया ।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग के संबध में यह निर्णय लिया कि व्याख्याता(स्कूल शिक्षा) का पद स्टेट सर्विस का होने के कारण उसे राज्य के किसी भी विधालय में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जा सकता है प्रार्थी की इच्छानुसार पदस्थापन दिया जाना संभव नही हैं। श्रीमती ममता मीणा द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय काछोला(भीलवाडा) में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

अतः श्रीमती ममता मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। जिससे सभी संबधित सूचित हो ।

(बी.एल.स्वर्णकार)
आईएएस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर
दिनांक – 21/4/2016

कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी–2/कोर्टकेस/2015
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
1.संबधित उपनिदेशक माध्यमिक अजमेर
2.संबधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अजमेर
3.संबधित संस्था प्रधान राउमावि काछोला(भीलवाडा)
4.संबधित कार्मिक श्रीमती ममता मीणा व्या वाणिज्य
5.गार्ड पंजिका

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर